न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री छगनलाल गोयल,
आर.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 29 / 2017

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
तेजसिंह पुत्र नाथूसिंह,जाति रावणा राजपूत,निवासी आहोर, तहसील आहोर, जिला जालोर		1.बाबूसिंह पुत्र नाथूसिंह, जाति रावणा राजपूत,निवासी आहोर 2.जितेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह 3.लालसिंह पुत्र भंवरसिंह 4.पारेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह 5.रेखा पुत्री भंवरसिंह, जातियान् रावणा राजपूत,निवासीगण हरजी, तहसील आहोर, जिला जालोर 6.अमरसिंह पुत्र जबरसिंह 7.डिम्पल पुत्री जबरसिंह 8.ममता पुत्री जबरसिंह, (नाबालिग) जरिये कुदरती वली पिता–जबरसिंह पुत्र सोहनसिंह, जातियान् रावणा राजपूत, निवासीगण देबावास, तहसील आहोर, जिला जालोर 9.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आहोर

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश तहसीलदार आहोर,दिनांक 26.5.2017(ना.क.सं.2358)

उपस्थिति :–

1.श्री उतमकुमार गहलोत,अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।
2.श्री सुरेन्द्रकुमार दवे,अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.1की ओर से।
3.श्री छोटूसिंह,सरकारी अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं. 9 की ओर से।
4.रेस्पोडेन्ट सं.2से 7,8 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 27.1.2020

1. अपीलांट के अनुसार अपील के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि ग्राम आहोर के खसरा नम्बर 771 रकबा2.40 हेक्टर आराजी बाबूसिंह,तेजसिंह पिसरान् नाथूसिंह व मेथी बेवा नाथूसिंह के नाम से राजस्व रैकार्ड में दर्ज थी

प्रार्थी तेजसिंह ने तहसीलदार के समक्ष एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया कि मैथी द्वारा उसके पक्ष में वसीयतनामा दिनांक 12.1.2001 को रूपये 100/–के स्टाम्प पर निष्पादित किया गया था ,उक्त वसीयतनामा मैथी का प्रथम व अन्तिम वसीयत है, मैथीबाई की मृत्यु दिनांक 2.11.2007 को हो चुकी है, उक्त वसीयतनामे के आधार पर मृतका के हिस्से की आराजी प्रार्थी तेजसिंह के नाम दर्ज इन्द्राज की जावे। तहसीलदार आहोर ने अपीलांट तेजसिंह को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किये बिना आदेश दिनांक 30.6.2009 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज किया गया, उक्त आदेश के विरूद्ध एक अपील अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर में प्रस्तुत की ,जिन्होने आदेश दिनांक 8.3.2010 द्वारा अपीलांट की अपील खारिज की,जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने श्रीमान् अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय जोधपुर में प्रस्तुत की वहां भी अपीलांट की अपील दिनांक 19.913 को खारिज करते हुए अधिनस्थ न्यायालय के आदेशों को यथावत् रखने का आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलांट ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष एक निगरानी प्रार्थनापत्र :एलआर/6096/2013/प्रस्तुत की जिसमें माननीय राजस्व मण्डल ने निर्णय दिनांक 3.9.2015द्वारा निगरानी स्वीकार कर तहसीलदार आहोर का आदेश दिनांक 30.6.2009 व अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर का आदेश दिनांक 8.3.2010 एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के निर्णय दिनांक 19.9.2013 को निरस्त करते हुए इस दिशा निर्देश के तहत् तहसीलदार आहोर को प्रकरण रिमाण्ड किया कि उभयपक्ष को वसीयत बाबत् अपना पूर्ण पक्ष रखने का अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर निस्तारण करे,उक्त निर्णय दिनांक 19.9.2015 की पालना में तहसीलदार आहोर के द्वारा प्रकरण दर्ज कर समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को नोटिस साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु तलब किया गया, लेकिन तहसीलदार आहोर द्वारा आदेश दिनांक 29.12.2016 द्वारा वादग्रस्त आराजी मैथीबाई की पुश्तैनी भूमि है, में वसीयत के आधार पर म्युटेशन पारित किया जाना नियम विरूद्ध है,का आदेश पारित किया,जिसके विरूद्ध एक अपील अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर के समक्ष दिनांक 7.2.2017को प्रस्तुत की लेकिन अपील विचाराधीन होते हुए भी तहसीलदार आहोर द्वारा दिनांक 26.5.2017को नामान्तरकरण सं. 2358 मैथीबाई के विरासतन नामान्तरकरण के जरिये उनकी पुत्री सागरदेवी व शोभादेवी के वारिसानो के नाम से खोले जाने का आदेश पारित किया,जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत है।अधिनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया गया हैं कि मृतका मैथीबाई ने अपने स्वेच्छा से जरिये वसीयतनामा दिनांक 12.1.2001 को अपने हिस्से की 1/3 बंट की सम्पूर्ण आराजी अपीलांट तेजसिंह के पक्ष में निष्पादित की है,कानूनन मैथीबाई की सम्पति में उसकी पुत्रियों की वारिसानों का हिन्दू उतराधिकार

अधिनियम के तहत् किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं माना जा सकता जब पुत्रियों की मृत्यु, मां से पूर्व हो चुकी है तो उसमें मां के वारिसानों के तौर पर जीवित पुत्र पुत्रियों को विधिक वारिसान् माना जा सकता है, मैथीबाई के वारिसानों के नाम म्युटेशन खोला भी जाये तो सम्पूर्ण वारिसानों के नाम खोला जाना चाहिये था लेकिन अदालत मातहत ने केवल मैथीदेवी की दो पुत्रियों मृतका–सागरकवर व शोभाकंवर के वारिसानों एवं बाबूसिंह व तेजसिंह के नाम ही दर्ज किया गया, रतनकंवर के वारिसानों के नाम नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया गया है,दिनांक 29.12.16 को अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर के समक्ष अपीलांट की अपील विचाराधीन रहते नामान्तरकरण नहीं खोला जा सकता था, दिनांक 25.7.17को उक्त विवादित आराजी सार संभाल करने हेतु अपीलांट वहां जाने पर अनजान भू माफिया आये व उक्त जमीन की ओर ईशारा किया तब अपीलांट द्वारा पूछने पर उन्होने बताया कि उक्त आराजी में बाबूसिंह का 1/3हिस्सा है जो उन्हें बैचान करना चाहता है, जिस पर तहसीलदार आहोर के कार्यालय में जाने पर ज्ञात हुआ कि मैथीबाई की जगह पर उनकी पुत्रियों के वारिसान् के नाम म्युटेशन सं. 2358दिनांक 24.5.17को भरा जा चुका है तथा शोभादेवी के वारिसानों द्वारा बाबूसिंह के हक में एक हक तर्कनामा भी दिनांक 24.5.17को निष्पादित हो चुका है जिसकी नकल दिनांक 25.7.17 को प्राप्त होने पर अपील अन्दर म्याद शुमार पेश की है, अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर तहसीलदार आहोर का आदेश दिनांक 26.5.17(ना.क.सं.2358) निरस्त कर खसरा नम्बर 771 रकबा 2.40 हेक्टर की आराजी मृतका मैथीबाई के 1/3 हिस्से का वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण खोला जाकर अपीलांट के पक्ष में दर्ज करने का आदेश करावे।अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र तथा फहरिस्त के साथ नकले पेश की , इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्टगण को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. दिनांक 25.7.18को रेस्पोडेन्ट सं.8 ममता को बाद सुनवाई के नाबालिग व जिसके कुदरती वली पिता जबरसिंह को रैकार्ड पर लिया गया।

3. अपीलांट के धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थनापत्र के खण्डन में रेस्पोडेन्ट्स ने कोई प्रत्युतर पेश नही किया गया हैं अतः अपीलांट की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

4. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई,अपीलांट के अभिभाषक ने बहस मं अपील में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध एक अपील अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर के समक्ष विचाराधीन होते हुए भी तहसीलदार आहोर द्वारा दिनांक 26.5. 2017को नामान्तरकरण सं. 2358 जो मैथीबाईके विरासतन् नामान्तरकरण

जरिये उनकी पुत्री सागरदेवी व शोभादेवी के नाम से खोले जाने का आदेश पारित किया गया है लेकिन मृतका-मैथीबाई के एक और पुत्री रतनकंवर भी जिनके वारिसान् मौजूद होते हुए भी उनके वारिसान् का नाम नामान्तरकरण तस्दीक नही किया गया है,मैथीबाई ने अपने हिस्से की आराजी की अन्तिम वसीयत अपीलांट के पक्ष में निष्पादित की कर दी थी जिसके अनुसार उक्त आराजी का हक,हिस्सा पाने का अधिकार अपीलांट को था। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार करावे तथा लिखित बहस भी पेश की, इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट सं.1 के वकील ने बहस में बताया कि पुश्तैनी भूमि की वसीयत नहीं हो सकती तथा इसमें प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल में वर्तमान में विचाराधीन है, अतः अपीलांट की अपील खारिज करावे।

5. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलाधीन आराजी स्वअर्जित सम्पति नहीं होकर पैतृक सम्पति थी, यह सुस्थापित विधि है कि वसीयत स्वअर्जित सम्पति की ही की जा सकती है,पैतृक सम्पति की वसीयत विधि अनुसार नहीं है।

अपीलांट द्वारा अपनी इस अपील के पैरा सं.5 में अंकित किया गया हैं कि मृतका मैथीबाई के एक पुत्री रतनकंवर के वारिसान् द्वारा मौजूद होते हुए भी तहसीलदार द्वारा उनके वारिसान् के नाम नामान्तरकरण नहीं किया गया हैं किन्तु अपनी अपील में न तो अपीलांट द्वारा रतनकंवर के वारिसान् को पक्षकार बनाया गया है और न ही इस बाबत् कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है। यदि कोई उत्तराधिकार से वंचित रह गया तो वह सक्षम न्यायालय में उक्त निर्णय को चुनौति दे सकता है।

अपील के पैरा सं.4 में अंकित हैं कि मैथीबाई की मृत्यु पर जीवित पुत्रियों को ही हिन्दु उतराधिकार अधिनियम में हकदार माना जाता है तथा मां की मृत्यु से पूर्व पुत्रियां की मृत्यु होने पर उनके वारिसान् हकदार नहीं है, किन्तु उक्त सबंध में कोई न्यायिक निर्णय प्रस्तुत नहीं किया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार आहोर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.5.2017 में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है।

आदेश

अतः अपीलांट द्वारा तहसीलदार आहोर के आदेश दिनांक 26.5.2017 (ना.क.सं.2358) के विरूद्ध प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो। निर्णय,आज दिनांक 27.1.2020 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2020.02.05 12:42:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: